भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-531

दिनांक 6 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

बैटरी स्वैपिंग प्रौद्योगिकी को अपनाना

531. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश भर में बैटरी स्वैपिंग संबंधी 2024 दिशानिर्देशों का एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग सहित किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यनीति तैयार की गई है;

(ग) देश भर में बैटरी स्वैपिंग संबंधी अवसंरचना की स्थापना और विस्तार करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी का लाभ किस प्रकार उठाया जा रहा है;

(घ) छोटे व्यवसायों और संभारतंत्र प्रचालकों द्वारा बैटरी स्वैपिंग प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए किन-किन विशिष्ट प्रोत्साहनों अथवा राजसहायता की योजना बनाई जा रही है;

(ड़) बैटरी स्वैपिंग प्रणालियों की अंतरप्रचालनीयता और प्रौद्योगिकी के मानकीकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(च) क्या बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के पर्यावरणीय प्रभाव की आवधिक समीक्षा और निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 जनवरी, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से "बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और संचालन संबंधी दिशानिर्देश" जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों (बीएसएस) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के विकास की सुविधा के लिए मानकों और प्रोटोकॉल को रेखांकित करते हैं। राज्य सरकारों को शामिल करते हुए इन दिशानिर्देशों को लागू करने वाली प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) ऊर्जा के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति, जिसमें परिवहन, नगर प्रशासन और शहरी विकास के सचिव तथा अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं, राज्य स्तर पर बीएसएस अवसंरचना के कार्यान्वयन की योजना बनाएगी और उसकी निगरानी करेगी।

(ii) प्रत्येक राज्य बीएसएस के लिए विद्युत कनेक्शन की सुविधा हेतु डिस्कॉम और राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार एक राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को नामित करेगा।

(iii) विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय संचालन समिति, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सदस्य, राज्यों के प्रतिनिधि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) शामिल हैं, समय-समय पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

(iv) दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए बीईई, डिस्कॉम और राज्य सरकार की संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी।

(ग) और (घ) : दिशा-निर्देशों में बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका पर जोर दिया गया है। बीसीएस और बीएसएस की स्थापना को गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि के रूप में नामित किया गया है, जिससे व्यवसायों के लिए प्रक्रिया सरल हो गई है।

किफायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया है कि सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं को 1 रू. प्रति किलोवाट घंटे की दर से राजस्व-साझाकरण मॉडल पर सार्वजनिक भूमि उपलब्ध कराई जाए। निजी संस्थाओं के लिए 1 रू. प्रति किलोवाट घंटा की न्यूनतम कीमत पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बीएसएस की स्थापना के लिए सरकारी भूमि से जुड़ी सार्वजनिक निविदाओं को प्रौद्योगिकी से अलग रखने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकारों को बीएसएस के लिए चौबीसों घंटे संचालन की अनुमति देने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, बीएसएस को विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ को सरल बनाया गया है। टैरिफ को सिंगल पार्ट बनाने और दिनांक 31 मार्च, 2028 तक "आपूर्ति की औसत लागत" तक सीमित करने की सलाह दी गई है।

(ङ) : वर्तमान में बैटरी स्वैपिंग विकसित हो रही है और सभी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपयोगकर्ताओं के बीच पूर्ण अंतर-प्रचालन की परिकल्पना नहीं की गई है।

(च) : बैटरी उत्पादकों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट बैटरियों के निपटान से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को दूर करने और कम करने के लिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने दिनांक 22.08.2022 की अधिसूचना के माध्यम से अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया।

नियमों के तहत, उत्पादकों को बाजार में पेश की जाने वाली बैटरियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की ज़िम्मेदारी दी गई है, ताकि अपशिष्ट बैटरियों का प्रभावी संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, संग्रह, पृथक्करण और उपचार में शामिल संस्थाओं को अपशिष्ट बैटरियों को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता या नवीकरणकर्ता को सौंपने के लिए बाध्य किया गया है।

****